

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2025 निगरानी

- | | | |
|--|------|---|
| 1. ग्राम पंचायत कादीसहना जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. रामलाल पिता भंवरलाल आचार्य नि. कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत कादीसहना जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा |
|--|------|---|

—निगराकार

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 विरुद्ध निर्णय
ग्राम पंचायत कादीसहना आदेश दिनांक 24.07.2019।

उपस्थित –

1. श्री हितेश शर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.05.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन ग्राम विकास पंचायत के द्वारा तीन वार्ड पंच की कमेटी बनाई जाकर रिपोर्ट बनाकर पेश की गई। किशनलाल के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में बिन्दू रां. 03 में अंकित 07 व्यक्तियों को जारी पट्टे गैर आवादी में होने की जांच के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार जो

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

सूची ज्ञात हुई उसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में क्रम सं. 01 लगायत 05 पर अंकित व्यक्तियों को ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जो पट्टे जारी किये गये वो आबादी भूमि से सटी हुई बिलानाम भूमि पर जारी होना पाया गया। इस तरह से ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा क्रम सं. 01 लगायत 05 पर अंकित व्यक्तियों को जारी पट्टे आबादी भूमि पर नहीं होने से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं किया जाना पाया गया और क्रम सं. 01 से पांच व्यक्तियों को जारी पट्टे नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। किशनलाल के द्वारा प्रस्तुत परिवार में बिन्दू सं. 03 में अंकित 07 व्यक्तियों को जारी पट्टे गैर आबादी में होने की जांच के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार जो सूची ज्ञात हुई उसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में क्रम सं. 01 लगायत 05 पर अंकित व्यक्तियों जिसमें गैर निगराकार सं. 01 का नाम क्रम सं. 02 पर होना अंकित है, जिसको ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वो आबादी भूमि से सटी हुई बिलानाम भूमि पर जारी होना पाया गया। इस तरह से ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा आबादी भूमि पर नहीं होने से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं किया जाना पाया गया और गैर निगराकार सं. 01 को जारी पट्टा नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 को ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जारी पट्टा सं. 20 दिनांक 24.07.2019 बुक सं. 165/20 आराजी संख्या 1277 बिलानाम खट्टा में स्थित होने से जारी पट्टा नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी गैर निगराकारान् के अवैध कृत्य के बाद तारीख 11.05.2024 को पट्टे की जानकारी होने से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जारी किया गया पट्टा सं. 20 दिनांक 24.07.2019 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में गैर निगराकारान संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से गैर निगराकारान संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता निगराकार द्वारा सीधी बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जो पट्टे जारी किये गये वो आबादी भूमि से सटी हुई बिलानाम भूमि पर जारी होना पाया गया। इस तरह से ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा गैर निगराकार को जारी पट्टा आबादी भूमि पर नहीं होने से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं किया जाना पाया जाना तथा जारी पट्टा नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 को ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जारी पट्टा सं. 20 दिनांक 24.07.2019 बुक सं. 165/20 आराजी संख्या 1277 बिलानाम खड्डा में स्थित होने से जारी पट्टा नियम विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जारी किया गया पट्टा सं. 20 दिनांक 24.07.2019 को निरस्त करने का आदेश गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो पूर्ण रूप से अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि आबादी भूमि से सटी हुई होकर बिलानाम आराजी नं. 1277 किस्म गै. मु. खड्डा पर जारी होना पाया गया। पत्रावली के संलग्न ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना की जमाबन्दी सम्वत 2076— 2079 में आराजी न. 1277 रकबा 1.2000 है. किस्म गे मु. खड्डा दर्ज रेकार्ड है। जिससे उक्त भूमि बिलानाम भूमि होकर उक्त भूमि की किस्म गै. मु. खड्डा होकर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से गैर निगराकार को जारी किया गया पट्टा शून्य है। विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा भी प्रमाणिक माना गया कि क्रम सं. 1 से 5 पर अंकित व्यक्तियों को जारी पट्टे आबादी भूमि से सटी हुई बिलानाम भूमि पर जारी होना पाया गया। इस तरह ग्राम पंचायत कादीसहना द्वारा गैर निगराकार को जारी पट्टा आबादी भूमि पर नहीं होने से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं किया जाना तथा जारी पट्टा नियम विरुद्ध पाया गया है।

पत्रावली का संधारण साइक्लो स्टाइल में किया जाकर पट्टा पत्रावली के पेज संख्या 11 पर आगामी सुनवाई दिनांक व हस्ताक्षर के कॉलम रिक्त है। पत्रावली के पेज संख्या


अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

13 पर खसरा नं. व सीमाज्ञान दिनांक व साधारण बैठक दिनांक प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं है। इस प्रकार पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियम 1996 के सुसंगत नियमों की पालना नहीं की गयी है।


निष्कर्षतः प्रश्नगत विधि के सुसंगत प्रावधानों की अवहेलना/अनदेखी कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

प्रश्नगत पट्टा पंचायतीराज नियमों एवं प्रकिया का पालन नहीं किये जाने से काबिल खारिज हैं।

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के पट्टा संख्या 20 दिनांक 24.07.2019 जरिये युक्त संख्या 165/20 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला क्लर्क
अतिरिक्त जिला क्लर्क
शाहपुरा